

समक्ष एसएस कांग और एपी चौधरी, न्यायमूर्ति

हिंद रबर फैक्ट्री - याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य -प्रतिवादी

1984 की संशोधित सिविल रिट याचिका संख्या 4516

30 मई 1989

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 - एस. 2 (डी) - केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 - नियम 8 - टैरिफ आइटम 16 -ए और 36 और पहली अनुसूची - नियम 8 के तहत रबर चैपल को उत्पाद शुल्क लगाने से छूट देने की अधिसूचना - प्रभाव - क्या माल उत्पाद शुल्क योग्य होना बंद हो जाता है।

निर्धारित किया गया कि अभिव्यक्ति "उत्पाद शुल्क योग्य सामान" की परिभाषा में दो भाग होते हैं। पहले भाग में कहा गया है कि ऐसे सामान वे हैं जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। दूसरा भाग यह है कि ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परिभाषा के दोनों भाग विच्छेदात्मक नहीं हैं और इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि संदर्भ पाठ में शुल्क के अधीन होने का मतलब उत्पाद शुल्क की वास्तविक वसूली है। शॉर्टर इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अभिव्यक्ति "अध्यधीन होना" का अर्थ है - प्रवृत्ति के लिए उजागर या खुला होना या होने की प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी होना प्रवृत्त या निपटाया हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। परिभाषा का अर्थ यह नहीं है कि किसी वस्तु को उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु बनाने के लिए शुल्क लगाया जाना चाहिए। 'के अधीन' अभिव्यक्ति के महत्व को समझने के लिए, इसकी तुलना 'के अधीन' अभिव्यक्ति के साथ करना लाभदायक होगा। यदि बाद वाली अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया होता तो यह कहा जा सकता था कि नियम 8 के तहत उत्पाद शुल्क से छूट 'उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं' को गैर-उत्पाद शुल्क योग्य या परिभाषा से बाहर कर देगी। इस बात पर विवाद है कि छूट के बाद भी छूट प्राप्त 'उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं' को अनुसूची में शामिल किया जाना जारी है और छूट अधिसूचना को वापस लेने से उत्पाद शुल्क फिर से लगाया जा सकता है। नियमों के नियम 8 जिसके तहत केंद्र सरकार को छूट देने का अधिकार है, स्वयं दर्शाता है कि समय-समय पर छूट दी जा सकती है, जिसका अर्थ यह है कि दी गई छूट वापस ली जा सकती है। नियम 8 के तहत छूट देने से या तो अनुसूची से छूट अधिसूचना द्वारा कवर किए गए सामान को हटाने या उस अनुसूची में किसी भी सामान को जोड़ने का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जहां तक उत्पाद शुल्क का संबंध है, नियम 8 के तहत छूट अधिसूचना अधिनियम की पहली अनुसूची को प्रभावित नहीं करती है। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को जोड़ने का अधिकार देने वाला कोई प्रावधान नहीं है।

पहली अनुसूची अधिनियम का एक हिस्सा है और केवल संसद को इसमें संशोधन करने का अधिकार है। यह वास्तव में वित्त अधिनियमों द्वारा कई अवसरों पर किया गया है। इस प्रकार हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित रबर चप्पल केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के तहत दी गई छूट के कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अर्थ के तहत उत्पाद शुल्क योग्य सामान नहीं रह गए हैं।

(पैरा 26, 27)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत संशोधित सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि: -

- (i) पी-8 में निहित दिनांक 1 जून 1984 के कारण बताओ नोटिस को रद्द करने के लिए परमादेश या कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाये;
- (ii) परिशिष्ट पी-9 में निहित दिनांक 26 अगस्त 1981 के विवादित परिपत्र पत्र को रद्द करते हुए परमादेश या कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाये;
- (iii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जो माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, जारी किया जाये;
- (iv) मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए कृपया प्रतिवादियों को अग्रिम नोटिस जारी करने से मना किया जाए;
- (v) कृपया याचिकाकर्ता को इस रिट याचिका की लागत की अनुमति दी जाए।

इस माननीय न्यायालय में रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान। कारण बताओ नोटिस दिनांक 1 जून, 1984 (अनुलग्नक पी-8) के अनुसरण में सिविल विविध. 1987 का क्रमांक 4836 में आगे की कार्यवाही पर कृपया रोक लगाई जाए।

151 के साथ पठित आदेश 6 नियम 17 के तहत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता को ऊपर निर्धारित अतिरिक्त आधार का आग्रह करने की अनुमति देने की कृपा करे और तदनुसार याचिका में संशोधन की अनुमति दे।

याचिकाकर्ता के लिए आरएल बता, वरिष्ठ अधिवक्ता व उनके साथ वकील विनोद अग्रवाल प्रतिवादियों की ओर से एचएस बराड़, पीएस तेजी, अधिवक्ता और उनके साथ वकील एचपी सिंह

निर्णय

एपी चौधरी, न्यायमूर्ति (मौखिक) - क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 8 के अनुसरण में जारी अधिसूचना के तहत उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त कोई भी सामान केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 2 (डी) के अर्थ के अंतर्गत उत्पाद शुल्क योग्य नहीं रहता है- इस रिट याचिका में उठाया गया संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है।

- वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता हिंद रबर फैक्ट्री पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से अपनी फैक्ट्री में सस्ते रबर चप्पल बनाने के व्यवसाय में लगी हुई है। इसने पिछले छह वर्षों से ट्रांसमिशन रबर बेल्टिंग का निर्माण भी शुरू कर दिया है। रबर चप्पल सहित फुटवियर अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ आइटम नंबर 36 के अंतर्गत आते हैं जबकि ट्रांसमिशन रबर बेल्टिंग (टीआरबी) पहली अनुसूची के आइटम नंबर 16-ए (4) के अंतर्गत आते हैं।
- अभिव्यक्ति "उत्पाद शुल्क योग्य सामान" को अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है "पहली अनुसूची में उत्पाद शुल्क के अधीन निर्दिष्ट सामान और इसमें नमक शामिल है।" केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (संक्षेप में "नियम") का नियम 8 केंद्र सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य सामान को लगाए जाने वाले शुल्क से पूरी तरह या उसके हिस्से से छूट देने का अधिकार देता है। धारा 6 और नियम 174 में भारत में निर्मित के संबंध में लाइसेंस लेने का प्रावधान है। नियम 174-ए केंद्र सरकार को किसी भी सामान को नियम 174 के संचालन से छूट देने यानी उस सामान के लिए लाइसेंस लेने से छूट देने का अधिकार देता है।
- केंद्र सरकार ने नियमों के नियम 8 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई, 1967 के माध्यम से कुछ वस्तुओं को उन पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से छूट दी। इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया गया जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक समय में जूते की कीमत रु. 30/- प्रति जोड़ी को उस पर लगने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट दी गई।

5. नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 19 जून, 1980 को एक और अधिसूचना संख्या 80/80-सीई जारी की थी, जिसे बाद में 18 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 123/80-सीई द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके तहत उत्पाद शुल्क योग्य सामान कॉलम में निर्दिष्ट विवरण के संलग्न तालिका की संख्या 3 और अधिनियम की पहली अनुसूची की ऐसी मद संख्या के अंतर्गत आने वाली तालिका में निर्दिष्ट है और किसी भी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद घरेलू उपभोग के लिए छूट दी गई है यदि कुल मूल्य निर्दिष्ट वस्तुओं की निकासी 5 लाख रुपये से अधिक नहीं थी। दिनांक 1-3-1981 की एक अधिसूचना के माध्यम से घरेलू उपभोग के लिए पहली मंजूरी की छूट 5 लाख से रु. 7.5 लाख रुपये से बढ़ा दी गई थी।

6. याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित रबर उत्पाद अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के आइटम नंबर 19 टैरिफ नंबर 16-ए के अंतर्गत आते हैं। अधिसूचना संख्या 83/83-सीई दिनांक 1 मार्च, 1983 में छूट को शामिल करते हुए एक स्पष्टीकरण IV शामिल है जो निम्नानुसार है: -

"किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की निकासी के कुल मूल्य की गणना करने के उद्देश्य से, जिसे किसी अन्य अधिसूचना द्वारा उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है (एक अधिसूचना नहीं है जहां उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत जारी किए गए और उस समय लागू होने पर, एक वित्तीय वर्ष में की गई मंजूरी की मात्रा के मूल्य के आधार पर प्रदान किया जाता है, इसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

एक अन्य अधिसूचना के माध्यम से कुछ निर्दिष्ट निर्माताओं को लाइसेंसिंग नियंत्रण से छूट उपलब्ध थी।

7. 13-3-1984 को, सहायक कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, जालंधर के कर्मचारी, प्रतिवादी संख्या 3 ने रबर चप्पल और ट्रांसमिशन रबर बेल्टिंग के उत्पादन से संबंधित याचिकाकर्ताओं के कारखाने के रिकॉर्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने याचिकाकर्ताओं की कुछ किताबें भी छीन लीं। याचिकाकर्ताओं की फर्म के पार्टनर मोहिंदर पाल सिंह का बयान भी दर्ज किया गया, जिसमें वर्ष 1979-80 से 1983-84 के लिए रबर चप्पल और टीआर बेल्टिंग की बिक्री के आंकड़े दिए गए, जो इस प्रकार हैं: -

अवधि	रबर की चप्पलों की बिक्री	टीआर बेल्टिंग की बिक्री
1979-80	16,57,500.87	3,93,846.31
1980-81	21,04,318.10	3,98,931.65

1981-82	26,51,641.50	5,98,825.39
1982-83	37,55,462.02	5,88,244.46
1983-84	50,86,155.79	5,98,118.95

8. याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित चप्पलें पहली अनुसूची के टैरिफ आइटम नंबर 36 के अंतर्गत आती हैं और उन्हें उत्पाद शुल्क के भुगतान से पूरी तरह छूट दी गई है क्योंकि प्रत्येक जोड़ी का मूल्य 15/- रुपये से कम था। ऐसे में याचिकाकर्ताओं द्वारा चप्पलों के निर्माण के संबंध में कोई घोषणा दायर नहीं की गई थी। उन्होंने कोई लाइसेंस भी प्राप्त नहीं किया क्योंकि उन्हें लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से भी छूट प्राप्त थी।

8ए. पहली अनुसूची के टैरिफ आइटम नंबर 16-ए के तहत आने वाले ट्रांसमिशन रबर बेल्टिंग को रुपये की निकासी के वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान 5 लाख रुपये के मूल्य तक पूरे उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी और संशोधित अधिसूचना संख्या 80/80-सीई दिनांक 19-6-1980 के तहत वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान 7.5 लाख।

8बी. याचिकाकर्ताओं को 1 जून, 1984 को कारण बताओ नोटिस दिया गया (काँपी अनुलग्नक पी/8)। इसके साथ याचिकाकर्ता द्वारा टीआर बेल्टिंग्स और रबर चप्पल की बिक्री का विवरण दिखाने वाले अनुबंध 'ए' और 'बी' संलग्न किए गए थे। कारण बताओ नोटिस में कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं ने टैरिफ आइटम नंबर 16-ए के तहत आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य सामान यानी टीआर बेल्टिंग का निर्माण और निकासी की थी। नोटिस में कहा गया था कि टैरिफ आइटम नंबर 36 के तहत आने वाले सभी उत्पाद शुल्क योग्य सामान यानी रबर चप्पल और टैरिफ आइटम नंबर 16-ए के तहत आने वाले टीआर बेल्टिंग की निकासी का कुल मूल्य रुपये से अधिक हो गया था। वित्तीय वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान 20 लाख और अधिसूचना संख्या 80/80-सीई दिनांक 19 जून, 1980 (संशोधित) में निहित केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट उपलब्ध नहीं थी। याचिकाकर्ता को यह बताना था कि नियमों के नियम 173-क्यू के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की राशि 4,64,535.80 रुपये याचिकाकर्ता से वसूली क्यों न की जाए।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि 26 अगस्त, 1981 तारीख के परिपत्र पत्र के अनुसरण में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि अधिसूचना संख्या 80/80CE दिनांक 19 जून, 1980 को संशोधित किया गया था, जिसमें उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी, लेकिन तालिका में निर्दिष्ट नहीं

किए गए माल के मूल्य को बाहर करने का प्रावधान नहीं किया गया था। उक्त परिपत्र के अनुसार, इसलिए, ट्रांसमिशन रबर बेल्टिंग के संबंध में निकासी के कुल मूल्य की गणना के लिए रबर चप्पल के संबंध में टैरिफ आइटम नंबर 36 के तहत कवर किए गए सामान के संपूर्ण मूल्यांकन को ध्यान में रखना होगा। चूंकि कुल मूल्यांकन अनुमेय सीमा से अधिक था, इसलिए याचिकाकर्ता को शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा रहा था। व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की।

10. रिट याचिका का उत्तरदाताओं द्वारा विरोध किया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम, नियमों और अधिसूचनाओं में निहित वैधानिक प्रावधानों पर किए गए निर्माण को स्वीकार नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिसूचना संख्या 80/80 दिनांक 19-6-1980 के साथ संलग्न स्पष्टीकरण संख्या वी के मददेनजर याचिकाकर्ता पर लागू अधिसूचना में कुछ भी शामिल नहीं है क्योंकि सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की निकासी का मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 20 लाख रुपये से अधिक है। रबर चप्पल अधिसूचनाओं के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित निर्दिष्ट वस्तुओं में से एक नहीं होने के कारण, रबर चप्पल का मूल्य संलग्न स्पष्टीकरण के अनुसार निकासी के मूल्य की गणना में कटौती के लिए पात्र नहीं था, जो निम्नानुसार है: -

"यदि वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा या उसकी ओर से घरेलू उपभोग के लिए एक या अधिक कारखानों से सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक हो गया हो।"

उक्त अधिसूचना के तहत मंजूरी के कुल मूल्य की गणना के संबंध में स्पष्टीकरण पहले ही ऊपर दिया जा चुका है।

11. उत्तरदाताओं के अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्मित टीआर बेल्टिंग 19 जून, 1980 की अधिसूचना संख्या 80/80-सीई के तहत छूट के लिए योग्य नहीं थी क्योंकि सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं (टीआर बेल्टिंग और रबर चप्पल का मूल्य) की निकासी का मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 20 लाख रुपये से अधिक था। लिखित बयान में अन्य कथनों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

12. इस मामले में निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्मित रबर चप्पलों का मूल्य क्या है, किन वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। दिनांक 19-6-1980 की अधिसूचना संख्या 80/80-सीई के तहत उत्पाद शुल्क से छूट के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्मित टीआर बेल्टिंग के मूल्य की गणना करते समय 15/- को ध्यान में रखा जा सकता है। इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए यह तय करना होगा कि क्या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य अधिसूचना के तहत उत्पाद शुल्क से

छूट प्राप्त वस्तुओं को अधिसूचना के तहत उत्पाद शुल्क से छूट के लिए टीआर बेल्टिंग के मूल्य की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

13. पार्टियों का यह सामान्य मामला है कि किसी भी वित्तीय वर्ष में टीआर बेल्टिंग का मूल्य 20 लाख रुपये को नहीं छूता या उससे अधिक नहीं होता। और यदि याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित रबर चप्पलों के मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्मित टीआर बेल्टिंग को भी अधिसूचना दिनांक 19-6-1980 के तहत उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।
14. जैसा कि शुरुआत में ही कहा गया है, विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या नियमों के नियम 8 के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही छूट पर कोई भी उत्पाद शुल्क योग्य सामान उत्पाद शुल्क योग्य सामान नहीं रह जाएगा ।
15. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क यह है कि पहली अनुसूची के आइटम नंबर 36 के तहत आने वाले सस्ते रबर चप्पलों को नियम 8 के तहत एक अधिसूचना द्वारा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है, यह उत्पाद शुल्क योग्य सामान नहीं रह गया है और इसलिए, उस खाते पर कारोबार हो सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित की जा रही ट्रांसमिशन रबर बेल्टिंग नामक अन्य वस्तु पर देय उत्पाद शुल्क का आकलन करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
16. हमने पाया है कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में राय में मतभेद है और इस मामले पर अभी तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
17. मध्य प्रदेश और इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों ने यह विचार किया है कि उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट के बाद उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएँ उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु नहीं रह जाती हैं । टाटा एक्सपोर्ट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, 1985 ईएलटी 732 (एमपी) में एक डिवीजन बेंच ने माना कि उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट के बाद उत्पाद शुल्क योग्य सामान उत्पाद शुल्क योग्य सामान नहीं रह जाता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बेंच ने तमिलनाडु राज्य बनाम एमके कंडास्वामी आदि आदि एआईआर 1975 सुप्रीम कोर्ट 1871

पर भरोसा किया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बाद वाला मामला तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1959 का 1) के तहत था। यह देखा गया कि अधिनियम की योजना में तीन अंतर-संबंधित लेकिन अलग-अलग अवधारणाएं शामिल हैं जिन्हें आसानी से 'कर योग्य व्यक्ति' 'कर योग्य सामान' और 'कर योग्य घटना' के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति पर दायित्व डालने से पहले इन तीनों को संतुष्ट किया जाना चाहिए। यह आगे बताया गया कि अभिव्यक्ति "वस्तुएं जिनकी बिक्री या खरीद अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी है" "कर योग्य वस्तुओं" की परिभाषा की प्रकृति में थी। अभिव्यक्ति "जिसकी बिक्री या खरीद अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी है" को "माल" शब्द के योग्य माना गया था और आवश्यक निहितार्थ वस्तुओं से बाहर रखा गया था, जिसकी बिक्री या खरीद को धारा 8 या अधिनियम की धारा 17(1) के तहत सभी बिंदुओं पर कर से पूरी तरह छूट दी गई थी। इसलिए, यह माना गया कि इस प्रकार छूट प्राप्त सामान - जो "कर योग्य सामान" नहीं है - को उक्त अधिनियम की धारा 7-ए के तहत आरोपित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम के तहत विशिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त मामले का निर्णय लिया गया। हमारे विचार में यह इस प्रस्ताव के लिए अधिकार प्रदान नहीं करता है कि नियम 8 के तहत छूट दिए जाने पर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं। उपरोक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा **टाटा एक्सपोर्ट लिमिटेड के मामले (सुप्रा)** में कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया है।

18. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने ई. सेप्टन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज अधीक्षक और अन्य, 1985 (19) ईएलटी 57 (सभी) मामले में डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा जताया है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि उत्पाद शुल्क योग्य सामान, जब उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती है, तो उत्पाद शुल्क योग्य सामान नहीं रह जाता है, बेंच ने उसी न्यायालय के पहले डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया। **नागरथ पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, (सिविल विविध रिट संख्या 2615/1972)** पर 5 दिसंबर, 1977, 1988 (33) ईएलटी 58 (सभी) को फैसला सुनाया गया, जिसके बाद एकल पीठ के फैसले का पालन किया गया। **सुलेख राम एंड संस बनाम भारत संघ में दिल्ली उच्च न्यायालय - 1972 कर कानून रिपोर्ट, 1771 - 1978 ईएलटी (जे) 525**। मैसर्स में निर्णय. नागरथ पेंट्स का मामला (सुप्रा) 1988 (33) ईएलटी 58 में रिपोर्ट किया गया है। **सुलेख राम के मामले (सुप्रा)** में निर्धारित कानून, जिसका मेसर्स नागरथ पेंट्स के मामले (सुप्रा) में पालन किया गया और बदले में **ई सेप्टन के मामले (सुप्रा)** को **विशाल आंध्र इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ, 1983 (14) ईएलटी 2265 (डेल)** में दिल्ली उच्च न्यायालय की बाद की डिवीजन बेंच के फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया था। **नागरथ पेंट्स मामले (सुप्रा)** में **सुलेख राम के मामले (सुप्रा)** का जिक्र करते हुए **ई. सेप्टन के मामले (सुप्रा)** में बेंच द्वारा यह देखा गया कि **कैलाश नाथ बनाम यूपी राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले - एआईआर**

1957 सुप्रीम कोर्ट 790 और जेके स्टील लिमिटेड बनाम भारत संघ -1978 (2) ईएलटी (जे 355) (एससी) - एआईआर 1970 सुप्रीम कोर्ट 1173 का पालन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों फैसलों को कर्नाटक सीमेंट पाइप फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाम सेंट्रल एक्साइज अधीक्षक और अन्य 1986 (23) ईएलटी 313 (कर्नाटक) मामले में विधिवत समझाया गया है। इसे इस प्रकार देखा गया: "(i) कैलाशनाल्ह और अन्य बनाम यूपी राज्य (1957 एससी 790) ।

(ii) मैसर्स. जेकेस्टील्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1970 एससी 1173) ।

उपरोक्त निर्णयों में से पहला निर्णय 'उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं' शब्द की व्याख्या से संबंधित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह व्यवस्था दी कि किसी अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना की व्याख्या करते समय दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। उनके आधिपत्य ने आगे कहा, कि अधिसूचना कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार बनाई गई है, इसमें वैधानिक बल और वैधता है और इसलिए, अधिसूचना के तहत छूट का अर्थ यह माना जाना चाहिए, जैसे कि यह अधिनियम में ही निहित है।

जेके स्टील्स लिमिटेड मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने उसी सिद्धांत को दोहराया और कहा: "...लेवी और छूट कराधान की एक ही योजना के हिस्से हैं। दोनों मिलकर कानून के उद्देश्य को लागू करते हैं। पता लगाने के लिए कर निर्धारण की सच्ची योजना में, हमें न केवल कर बल्कि दी गई छूट को भी ध्यान में रखना होगा।"

सेप्टन के मामले (सुप्रा) में विद्वान न्यायाधीशों द्वारा पहुंचे निष्कर्ष के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया है। विपरीत दृष्टिकोण अर्थात् नियम 8 के तहत छूट दिए जाने पर उत्पाद शुल्क योग्य सामान उत्पाद शुल्क योग्य सामान नहीं रह जाता है, सीईजीएटी, , नई दिल्ली विशेष पीठ 'सी' के अलावा, पटना, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मद्रास के उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया है।

19. श्री माधव मिल प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर और अन्य, 1984 (17) ईएलटी 310 (पटना) में , पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ को दो विवादों से निपटना पड़ा, अर्थात् -

i) उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त मैदा उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु नहीं थी, जिसके मूल्य को वार्षिक कारोबार के लिए ध्यान में रखा जा सकता था; और

ii) मैदा को उत्पाद शुल्क से छूट दिए जाने के बाद भी , इसे छूट देने वाली अधिसूचना के पहले प्रावधान में इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति "सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को मंजूरी दे दी गई" में शामिल नहीं किया जा सका।

बीएस सिन्हा, न्यायमूर्ति ने केवल दूसरे प्रश्न को निपटाया और माना कि मैदा को छूट देने

वाली अधिसूचना का प्रावधान केवल ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य सामानों को संदर्भित करता है जिस पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया था। एक अलग आदेश में, ललित मोहन शर्मा, न्यायमूर्ति (जो अब सुप्रीम कोर्ट बेंच के सदस्य हैं) ने पहले प्रश्न पर विचार किया और पैराग्राफ 27 में निम्नानुसार कहा: -

"पहली अनुसूची और नियमों के साथ अधिनियम की बारीकी से जांच करने पर, मैं खुद को याचिकाकर्ता के रुख को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं पाता हूँ। यह सच है कि अभिव्यक्ति का उद्देश्य पहली अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक लेख को शामिल करना नहीं है।" लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट है कि परिभाषा पूरी तरह से शुल्क का भुगतान करने के दायित्व पर निर्भर नहीं है। यदि ऐसा होता, तो उपधारा में पहली अनुसूची का उल्लेख नहीं होता। पहली अनुसूची दोनों का संदर्भ दिया गया है और उत्पाद शुल्क के संबंध में दायित्व के लिए और वे हर महत्वपूर्ण शब्द "के रूप में" से जुड़े हुए हैं। उप-धारा में प्रत्येक शब्द को प्रभावी करते हुए, इसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि सभी सामान जो शुल्क के अधीन हैं पहली अनुसूची में शामिल किए जाने के गुण को उत्पाद शुल्क योग्य माना जाना चाहिए। दूसरा भाग केवल वर्णनात्मक है। क्या कोई विशेष लेख किसी अन्य प्रावधान के कारण शुल्क के अधीन है या नहीं, यह प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है। जो देखा जाना चाहिए वह है क्या पहली अनुसूची में शामिल होने के कारण यह कर्तव्य के अधीन है या नहीं। अनुसूची के एक संदर्भ से संकेत मिलता है कि मैदा को अभी भी आइटम 1 के रूप में कॉलम 3 में 10 पैसे प्रति किलोग्राम शुल्क की दर के साथ बरकरार रखा गया है। इसलिए, इसे पहली अनुसूची में शुल्क के अधीन निर्दिष्ट किया गया है और पूरी तरह से इसके अंतर्गत आता है।"

20. **विशाल आंध्र इंडस्ट्रीज मामले (सुप्रा)** में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ भी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि नियम 8 के तहत छूट के बाद उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं 'गैर-उत्पाद शुल्क योग्य' नहीं हो जाती हैं। निर्णय से निम्नलिखित टिप्पणियों को लाभ के साथ निकाला जा सकता है:

".....यह देखा जाएगा कि नियम 8 उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क के भुगतान से छूट देता है। इस प्रकार, नियम 8 स्वयं मानता है कि जिन वस्तुओं पर छूट दी गई है वे उत्पाद शुल्क योग्य हैं। एक अधिसूचना जारी करने से वस्तुओं पर छूट नहीं मिलती है उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएँ नहीं रह जाती हैं। वे तब तक उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएँ बनी रहती हैं जब तक कि अनुसूची में किसी भी वस्तु में वे शामिल हैं। निस्संदेह पहली अनुसूची की मद संख्या 68 में एल्युमीनियम के बर्तन शामिल हैं। इस प्रकार, वे उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएँ हैं। जारी करने से क्या होता है नियम 8 के तहत अधिसूचना यह है कि एक निर्माता छूट का दावा करने का हकदार हो जाता है, न कि यह कि सामान उत्पाद शुल्क योग्य सामान नहीं रह जाता है। नियम 8 की प्रयोज्यता से पहले की स्थिति उत्पाद शुल्क योग्य सामान

का अस्तित्व है। निस्संदेह, चूंकि आइटम नंबर 68 अभी भी एल्यूमीनियम के बर्तनों को कवर करना जारी रखता है, इसलिए वे उत्पाद शुल्क योग्य सामान हैं.... "

21. **कर्नाटक सीमेंट पाइप फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक और अन्य, 1986 (23) ईएलटी 313 (कर्नाटक)** मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया था। इस निर्णय में, विद्वान न्यायाधीश ने उन कुछ प्राधिकारियों की व्याख्या की जिनमें विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया था और मद्रास, आंध्र प्रदेश और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भरोसा किया गया था। यह माना गया कि किसी उत्पाद का चरित्र, उत्पाद शुल्क योग्य सामान के रूप में, विधिवत वास्तविक लेवी पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि अधिनियम की पहली अनुसूची में निहित उत्पाद शुल्क योग्य सामान के विवरण पर निर्भर करता है। यह बताया गया कि अधिनियम की पहली अनुसूची उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं और शुल्क की दर का विवरण देती है। आगे बताया गया कि यह महत्वपूर्ण है कि अनुसूची में दिए गए कुछ सामानों के संबंध में शुल्क शून्य था।

22. **तमिलनाडु (मद्रास राज्य) हथकरघा बुनकर सहायक समिति लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर, इरोड, 1978 (2) ईएलटी (जे 57)** में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने भी यही विचार रखा। वी. रामास्वामी, न्यायमूर्ति जो अब इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ने डिवीजन बेंच की ओर से बोलते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क को इन टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया: -

"हम विद्वान वकील के तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं। हमारा विचार है कि "उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं" शब्द की परिभाषा में "उत्पाद शुल्क के अधीन" शब्द केवल निर्दिष्ट वस्तुओं का वर्णनात्मक हैं, और उनके शुल्क के प्रति दायित्व के तथ्य का कोई संदर्भ नहीं है। वास्तव में, यह देखा गया है कि शुल्क की कुछ दर 'शून्य' है। यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि ये सामान 'उत्पाद शुल्क योग्य सामान' नहीं हैं। इस संबंध में, हम धारा 3 का भी उल्लेख कर सकते हैं, जो कि चार्जिंग अनुभाग है, जो अनुसूची में निर्धारित दर पर भारत में उत्पादित या निर्मित सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करता है, जिससे उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को दर्शाया जाता है। अनुभाग की परिभाषा में केवल पहली अनुसूची के कॉलम (2) में माल के विवरण का उल्लेख है, न कि उस अनुसूची के कॉलम (3) में शुल्क की दर का...."

श्री शंकर इंडस्ट्रीज, बॉम्बे बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, बॉम्बे, 1984 (17) ईएलटी 402 (ट्रिब्यूनल) में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था। इसी प्रभाव के लिए आंध्र प्रदेश पेपर मिल्स लिमिटेड, राजाहिनुंद्री बनाम सहायक कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राजमुंदरी

और अन्य, 1980 (6) ईएलटी 210 (एपी) मामले में एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण है। प्रासंगिक चर्चा पैराग्राफ 13 में पृष्ठ 216 पर पाई जानी है।

23. उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर, मध्य प्रदेश और इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों को छोड़कर, अन्य उच्च न्यायालयों के बड़े बहुमत ने यह विचार किया है कि नियमों के नियम 8 के तहत छूट दिए जाने पर उत्पाद शुल्क योग्य सामान उत्पाद शुल्क योग्य सामान नहीं रहेगा। इसी निष्कर्ष के समर्थन में हम कुछ और कारण भी जोड़ सकते हैं। अभिव्यक्ति "उत्पाद शुल्क योग्य सामान" की परिभाषा में दो भाग होते हैं। पहले भाग में कहा गया है कि ऐसे सामान वे हैं जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। दूसरा भाग यह है कि ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परिभाषा के दोनों भाग विघटनकारी नहीं हैं और इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि संदर्भ में शुल्क के अधीन होने का मतलब उत्पाद शुल्क की वास्तविक वसूली है। शॉर्टर इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अभिव्यक्ति "अधीन होना" का अर्थ है - उजागर या खुला होना; प्रवृत्त या उत्तरदायी प्रवृत्त या निपटारा होने की प्रवृत्ति होना। इसका तात्पर्य यह है कि अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। परिभाषा का अर्थ यह नहीं है कि किसी वस्तु को उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु बनाने के लिए शुल्क लगाया जाना चाहिए। 'विषय' अभिव्यक्ति के महत्व को समझने के लिए इसकी तुलना 'विषय' अभिव्यक्ति से करना लाभदायक होगा। यदि बाद वाली अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया होता तो यह कहा जा सकता था कि नियम 8 के तहत उत्पाद शुल्क से छूट 'उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं' को गैर-उत्पाद शुल्क योग्य या परिभाषा से बाहर कर देगी। परिभाषा में होने वाली अभिव्यक्ति 'विषय' है। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि छूट के बाद भी छूट प्राप्त 'उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं' अनुसूची में शामिल रहती हैं और छूट अधिसूचना को वापस लेने से उत्पाद शुल्क फिर से लगाया जा सकता है। नियमों के नियम 8 जिसके तहत केंद्र सरकार को छूट देने का अधिकार है, स्वयं दर्शाता है कि समय-समय पर छूट दी जा सकती है, जिसका अर्थ यह है कि दी गई छूट वापस ली जा सकती है। नियम 8 के तहत छूट देने से या तो छूट अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले सामान को अनुसूची से हटाने या उस अनुसूची में कोई सामान जोड़ने का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जहां तक उत्पाद शुल्क का सवाल है, नियम 8 के तहत छूट अधिसूचना अधिनियम की पहली अनुसूची को प्रभावित नहीं करती है। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। पहली अनुसूची में उल्लिखित उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं में जोड़ना या हटाना। पहली अनुसूची अधिनियम का एक हिस्सा है और केवल संसद को इसमें संशोधन करने का अधिकार है। यह वास्तव में वित्त अधिनियमों द्वारा कई अवसरों पर किया गया है।

24. इस प्रकार हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित रबर चप्पल नियमों के नियम 8 के तहत दी गई छूट के कारण अधिनियम के अर्थ में उत्पाद शुल्क योग्य सामान नहीं रह गए हैं। मुख्य प्रश्न याचिकाकर्ता के खिलाफ तय होने के कारण याचिका विफल होनी चाहिए। तदनुसार उसे लागत सहित खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
चरखी दादरी, हरियाणा